

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ****आपराधिक पुनरीक्षण संख्या-184 वर्ष 2026**

किशोर अपराधी एक्स उनकी अभिभावक/माँ के माध्यम से

.....पुनरीक्षणकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव गृह, लखनऊ के ज़रिए एवं 4 अन्य

.....विपक्षी(ओं)

पुनरीक्षणकर्ता(ओं) के अधिवक्ता

:

शशि सौरभ तिवारी

विपक्षी(ओं) के अधिवक्ता

:

शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 13**माननीय न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया**

1. राज्य द्वारा दायर जवाबी हलफनामे और पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दायर पूरक हलफनामे को पत्रावली पर लिया जाता है।
2. कार्यालय आख्या दिनांक 18.03.2026 के अनुसार विपक्षी संख्या 2 को नोटिस की तामील पर्याप्त है। नोटिस की तामील के बावजूद, वर्तमान जमानत पुनरीक्षण का विरोध करने के लिए विपक्षी संख्या 2 की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से कि मुखबिर और पीड़ित ने अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया है, यह अदालत वर्तमान जमानत पुनरीक्षण को गुण-दोष के आधार पर तय करने के लिए आगे बढ़ती है।
3. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेख पर रखी सामग्री का अवलोकन किया।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

4. किशोर न्याय (बालको की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (संक्षेप में "2015 का अधिनियम") की धारा 102, सपठित धारा 430/442 भा०ना०सु०सं० के तहत यह आपराधिक पुनरीक्षण, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश, POCSO अधिनियम, जिला- गोंडा द्वारा आपराधिक अपील संख्या 89 वर्ष 2025 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 05.01.2026 के खिलाफ दायर किया गया है, जोकि प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 250/2025 धारा 64(1), 352, 351(3) भा०ना०सं० एवं 3/4(1) पॉक्सो एक्ट के तहत थाना खोड़ारे, जिला गोंडा और किशोर न्याय बोर्ड, गोंडा द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.11.2025 से जनित है।

3. वर्तमान जमानत पुनरीक्षण पर बल डालते हुए, पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि पुनरीक्षणकर्ता निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है।

4. आगे कहा गया है कि पुनरीक्षणकर्ता, जिसकी उम्र घटना की तारीख को लगभग 17 वर्ष थी, 24.09.2025 से न्यायिक हिरासत में है।

5. आगे कहा गया है कि, प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, मुकदमा अपराध संख्या 250/2025 धारा 64(1), 352, 351(3) भा०ना०सं० व 3/4(1) पॉक्सो एक्ट, थाना खोड़ारे, जिला गोंडा में यह पुनरीक्षणकर्ता है, जो शिकायतकर्ता की नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया और उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए।

6. यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन की कहानी झूठी है, जो कि विचारण न्यायालय के समक्ष क्रमशः अभियोजन साक्षी-1 और अभियोजन साक्षी-2 के रूप में दर्ज किए गए मुखबिर और पीड़ित के बयान से स्पष्ट है। इन कथनों के आधार पर, यह कहा गया है कि तथ्य के मुख्य गवाहों ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है और उन्हें शत्रुतापूर्ण घोषित कर दिया गया है। विचारण न्यायालय की अनुमति से विद्वान राज्य अधिवक्ता द्वारा की गई जिरह के दौरान, पुनरीक्षणकर्ता के खिलाफ कुछ भी आपत्तिजनक नहीं पाया जा सका।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

7. आगे कहा गया है कि उपरोक्त तथ्यों और कारावास की अवधि जो दिनांक 24.09.2025 से प्रभावी को भी ध्यान में रखते हुए, पुनरीक्षणकर्ता जमानत पर रिहा होने का हकदार है।
8. आगे कहा गया है कि इन परिस्थितियों में, पुनरीक्षणकर्ता जमानत पर रिहा होने का हकदार है और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो इस बात की कोई आशंका नहीं है कि जमानत पर रिहा होने के बाद वह ज्ञात और अज्ञात सट्टेबाज अपराधियों के संपर्क में आ सकता है या नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे में पड़ सकता है।
9. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत पुनरीक्षण का विरोध किया है, हालांकि, वह पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की उपरोक्त दलीलों पर विवाद नहीं कर सके।
10. इस प्रकार कारावास की अवधि और जिला परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट और मुखबिर (अभियोजन साक्षी-1) और पीड़िता (अभियोजन साक्षी-2) के बयान सहित मामले के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मुझे पुनरीक्षण में बल लगता है। तदनुसार, पुनरीक्षण की अनुमति दी जाती है।
11. आपराधिक अपील संख्या 89/2025 में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो अधिनियम, जिला-गोंडा द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश दिनांक 05.01.2026 और किशोर न्याय बोर्ड, गोंडा द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.11.2025 को रद्द किया जाता है।
12. उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या के किशोर 'एक्स' को उसकी मां/प्राकृतिक अभिभावक द्वारा संबंधित न्यायालय/बोर्ड की संतुष्टि के लिए समान राशि के दो विश्वसनीय जमानतदारों के साथ एक निजी बंधपत्र निष्पादित करने और उसकी मां द्वारा हलफनामा प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए कि वह किशोर की उचित देखभाल करेगी, उसे किसी भी गैरकानूनी या आपराधिक गतिविधि में शामिल होने या गैरकानूनी तत्वों की संगत में शामिल होने की अनुमति नहीं देगी,

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

उसे सख्त नियंत्रण में रखेगी, साक्ष्यों के साथ प्रयास या छेड़छाड़ नहीं करेगी या गवाहों को धमकी नहीं देगी, साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि पर किसी भी अनावश्यक स्थगन की मांग नहीं करेगी, व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से निर्धारित प्रत्येक तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगी, ऐसा न करने पर किशोर को दी गई जमानत का आदेश रद्द किया जा सकता है।

13. आज से एक वर्ष की अवधि के लिए, किशोर को प्रत्येक माह की 10 तारीख को अपने प्राकृतिक अभिभावक के साथ संबंधित जिला परिवीक्षा अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना होगा।

मार्च 19, 2026

प्रीति/-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।